बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या : PR.....181.... / 2026

NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2026–28 में नामांकन के संबंध में डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 उत्तीर्ण आवेदकों एवं संबंधित प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना।

दिनांक 08.06.2026 से 22.06.2026 तक की अवधि में आयोजित डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में उतीर्ण आवेदकों के परीक्षाफल (Result Card) के आधार पर राज्य अन्तर्गत डी०एल०एड० पाठ्यक्रम संचालित सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण सत्र 2026–28 में ऑनलाइन प्रणाली से संस्थान आवंटन की कार्रवाई की जानी है। ऑनलाइन नामांकन आवेदन, शुल्क जमा करने तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भरने हेतु दिनांक 10.08.2026 से 16.08.2026 तक तिथि निर्धारित की गई है।

1.1. अतः डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 के उतीर्ण तथा डी०एल०एड० संस्थानों में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदक, समिति के पोर्टल https://bsebdeled.com पर **दिनांक 10.08.2026 से 16.08.2026 तक** की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उतीर्ण अभ्यर्थी द्वारा हीं डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन Common Application form (CAF) निर्धारित अवधि में भरा जाएगा। आवेदक का "लॉगिन–आई.डी." उनका रौल नं० एवं "पासवर्ड" जन्म तिथि होगा।

2. **प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता :–**

(i) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ii) नामांकन हेतु विभागीय प्रावधान के अनुसार आरक्षित कोटि (EWS को छोड़कर) / निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी।

(iii) 50 प्रतिशत अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे।

(iv) वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इण्टर, 10+2 अथवा फौकानियां के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।

(v) वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आई॰टी॰आई॰ या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

नोट : डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 323/2025 की कंडिका 3 (iv) के माध्यम से वर्ष 2026 की उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों ***"Appearing Candidate"*** को भी उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। उक्त वार्षिक परीक्षा, 2026 में उपर्युक्त निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी डी०एल०एड० संस्थानों में नामांकन हेतु तथा तद्नुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु पात्र नहीं होगें, भले ही वे डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण घोषित हुए हों।

3. **उम्र सीमा (Age Limit) :– आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष (01 जनवरी, 2026 को) सभी कोटि के लिए।**

4. **आरक्षण (Reservation)**

(क) **उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)** डी०एल०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC), पिछड़े वर्ग की महिलाओं (WBC) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों (EWS) के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।

(ख) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**

(i) सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पाँच प्रतिशत (5%), बिहार राज्य के निवासी सेवारत्/सेवानिवृत/दिवंगत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र/आश्रित अविवाहित पुत्री को पाँच प्रतिशत (5%), क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ii) उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए दस प्रतिशत (10%) स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल की है।

(iii) सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

5. **नामांकन में आरक्षण** :– The Bihar (In Admission in educational Institution) Reservation Act 2003 के अनुसार नामांकन में आरक्षण देय होगा। नामांकन में आरक्षण के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/पत्र प्रभावी होगा।

6. **निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क** :– संयुक्त सचिव, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 12/प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)– 343 दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के गैर–सरकारी स्व–वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023–25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/– (साठ हजार) रुपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र शुल्क निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा डी०एल०एड० कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर शुल्क निर्धारण किया गया है। अतः वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। संबंधित संस्थान उपर्युक्त का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि प्राप्त करने का परिवाद/शिकायत प्रमाणित होने की स्थिति में संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित होगी।

7. नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तथा शिक्षकेतर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जाएगा। डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन के कार्य में आवेदकों की सुविधा के लिए आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउन्टरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम हो सके।

8. (क) NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डी०एल०एड० कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा :–

(i) आवेदकों का डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में प्राप्त Score एवं Rank,
(ii) डी०एल०एड० पाठ्यक्रम कोर्स संचालित संस्थानों में स्वीकृत सीट की संख्या,
(iii) आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान की प्राथमिकता (Priority),
(iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान।

(ख) संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक **20.08.2026** को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। उक्त सूची में चयनित आवेदकों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक **20.08.2026 से 24.08.2026** तक नामांकन किया जाएगा।

8.1 डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में अनुत्तीर्ण किसी भी आवेदक का किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

8.2 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा डी०एल०एड० संस्थान में नामांकन हेतु प्रकाशित प्रथम चयन सूची (First Selection List) संबंधित संस्थान को उनके Login ID पर भेज दिया जाएगा। प्रत्येक चरण के लिए संस्थान–वार, संकाय–वार (Stream-wise), कोटि–वार (Category-wise), कट ऑफ अंक (Cut-off Marks) समिति के Portal पर जारी किया जाएगा। आवेदक इसे समिति के पोर्टल पर देख सकते हैं। चयनित आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी जारी किया जाएगा, जिसे वे Portal पर अपना ID एवं Password डालकर देख सकते हैं तथा Download कर सकते हैं।

8.3 निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू, पटना के पत्रांक 12/विविध–11/2016–3680, दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त निदेश के आलोक में मेधा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए (सरकारी शिक्षण संस्थानों के) विकल्प का अनुपालन करते हुए शत–प्रतिशत नामांकन के उपरान्त ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। **गैर–सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीट आवंटन के लिए अलग से कोई विकल्प प्राप्त नहीं किया जाएगा।** निर्धारित अवधि में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ दिए गए गैर–सरकारी संस्थानों के विकल्प का ही उपयोग किया जाएगा। **8.4.** सरकारी शिक्षण संस्थान में नामांकित आवेदक, किसी भी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

9. चयनित आवेदक संबंधित संस्थान के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। आवेदक सूचना–पत्र (Intimation Letter), Common Application Form के प्रिंट आउट सहित **अन्य सभी मूल अभिलेख** यथा– 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रक, उतीर्णता प्रमाण पत्र, 12वीं परीक्षा का अंक पत्रक, प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित संस्थान द्वारा माँगी जाए तथा उन प्रमाण पत्रों की स्वहस्तक्षारित दो–दो प्रति एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन कराएँगे। प्राचार्य नामांकन के पूर्व उपलब्ध कराई गई सभी प्रमाण पत्र का मूल प्रति से मिलान करेंगे एवं तदनुसार आवेदक का नामांकन लेंगे। संबंधित संस्थान के प्राचार्य पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्रतिदिन अद्यतन (Updation**) करेंगे। प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदक दिनांक **20.08.2026 से 24.08.2026** तक की अवधि में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। आवेदकों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि **20.08.2026 से 24.08.2026** तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनका नाम अगले चरणों में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

10. **स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया** :– वैसे आवेदक, जो प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वे अपने आवंटित संस्थान में नामांकन के उपरांत निर्धारित अवधि तक पोर्टल के माध्यम से Student Login में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु Slide Up विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। द्रष्टव्य है कि द्वितीय सूची में आवेदक का नाम चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित संस्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जाएगा।

11. जिन आवेदकों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ है वे अनिवार्य रूप से 3000/–(तीन हजार रुपया) मात्र सुरक्षा राशि आवंटित संस्थान में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरांत संस्थान द्वारा पोर्टल पर नामांकन का Updation** किए जाने के बाद ही आवेदक के Slide Up के विकल्प का उपयोग मान्य होगा।

12. जो आवेदक सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरणों के लिए स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम अगले चरण के लिए अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

13. डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण जिन आवेदकों के द्वारा ससमय ऑनलाइन आवेदन (CAF) भरा जाएगा, मात्र उन्हीं आवेदकों का नाम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। **निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन (CAF) फॉर्म जमा नहीं किए जाने वाले आवेदकों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदनुसार ऐसे आवेदकों का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं होगा।**

14. प्रथम चयन सूची में जिन आवेदकों का चयन नहीं हो पाता है, तो रिक्ति रहने पर द्वितीय एवं तृतीय चरण में नियमानुसार अवसर दिया जाएगा। इस क्रम में आवेदक चाहें तो पूर्व में भरे गए CAF के आवेदन पत्र में विकल्पों को संशोधित कर सकते हैं।

15. डी०एल०एड० पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों में नामांकन के पूर्व आवेदकों के चयन की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर अथवा नामांकन प्रक्रिया में अथवा नामांकन के उपरांत किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक नामांकन/प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अन्य विहित योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो, उसका अभ्यर्थित्व/नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा।

15.1 ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित विवरणों को सही=सही भरा जाएगा। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

16. सभी सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची एवं संस्थानवार स्वीकृत सीट समिति के पोर्टल पर अपलोड है। आवेदक उक्त सूची में से अपनी इच्छानुसार न्यूनतम 05 (पाँच) प्रशिक्षण संस्थानों तथा अधिकतम 30 (तीस) प्रशिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सकते हैं।

17. **नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क :–**

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	General/EWS/BC/EBC	500
2	SC/ST/Differently abled	350

18. **नामांकन हेतु चयनित आवेदक एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिए आवश्यक निदेशः–** प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित आवेदकों का पोर्टल पर संस्थान के Login में प्रतिदिन संध्या 5 बजे तक निश्चित रूप से Update करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समिति/संबंधित आवेदक को उनके नामांकन होने की जानकारी हो सके। अगर किसी आवेदक का नाम संबंधित संस्थान के चयन सूची में प्रदर्शित हो जाता है तथापि वे निर्धारित अवधि में उक्त संस्थान में नामांकन नहीं लेते है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे आवेदकों के नामांकन का दावा पोर्टल पर अस्वीकृत (Reject) कर दें ताकि रिक्ति की स्थिति स्पष्ट हो सके एवं उक्त रिक्ति के विरूद्ध दूसरी–चयन–सूची का प्रकाशन किया जा सके। **संस्थान के द्वारा ससमय ऐसे आवेदकों के नामांकन का दावा अगर पोर्टल पर अस्वीकृत (Reject) नहीं किया जाता है, तो माना जाएगा कि वैसे आवेदकों का नामांकन उक्त संस्थान में हो चुका है। अगले चरण के लिए ऐसे सीट के विरूद्ध नामांकन हेतु किसी अन्य आवेदक का नाम संस्थान को आवंटित नहीं किया जाएगा।**

19. प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कई आवेदकों को Slide Up प्रक्रिया के तहत द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। "Slide up" का मतलब दाखिले (Admission) की प्रक्रिया में ऊपर के कॉलेज या बेहतर विकल्प (Higher Option) में जाने का मौका पाना है। दूसरी सूची में चयनित एवं नामांकित आवेदक पुनः Slide Up प्रक्रिया के तहत तृतीय अंतिम सूची में भी उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन हेतु Slide Up विकल्प का चयन कर सकते हैं। उक्त स्थिति में विद्यार्थी को एक ही बार नामांकन सुरक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :–

(i) किसी भी आवेदक का प्रथम बार नामांकन के समय निर्धारित सुरक्षा शुल्क 3000/– रुपया लिया जाए।

(ii) तत्पश्चात् यदि किसी आवेदक का अगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में आवेदक द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय आवेदकों से संस्थान द्वारा अलग से कोई भी नामांकन सुरक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

20. पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो आवेदक अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जाएगी :–

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाए।

(ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि आवेदक द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय सुरक्षा शुल्क की राशि जमा की गयी है। पूर्व के संस्थान उनके द्वारा नामांकित आवेदकों से लिए गए सुरक्षा शुल्क की राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को हस्तांतरित करेंगे। सभी संस्थानों के प्राचार्य आवेदक के द्वारा जमा की गई 3000/– रुपए की सुरक्षा राशि को एक माह के अंदर उस आवेदक के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस हस्तांतरित करेंगे।

21. सत्र 2026–28 में डी०एल०एड० संस्थानों के प्राचार्य उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से किसी भी आवेदक का नामांकन नहीं लेंगे। इस प्रक्रिया से इतर किसी भी प्रकार का नामांकन अवैध माना जाएगा। ऐसे नामांकित आवेदकों को अनुवर्ती पंजीयन (Registration) प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा संबंधित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

<u>महत्वपूर्ण तिथियाँ</u>

क्र० सं०	कार्य	तिथि	अभियुक्ति
i	आवेदन की तिथि	10.08.2026 से 16.08.2026 तक	• डी०एल०एड० प्रशिक्षण सत्र 2026–28 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरूद्ध आवेदकों का नामांकन हेतु चयन, Merit-Cum-Choice के आधार पर किया जाएगा। • रिक्त सीटों के विरूद्ध क्रमिक रूप से, आवश्यकतानुसार, क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांकित निदेश/प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।
ii	प्रथम चयन– सूची जारी होने की तिथि	20.08.2026	
iii	नामांकन की अवधि	20.08.2026 से 24.08.2026 तक	
iv	आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड–अप प्रक्रिया की अवधि	20.08.2026 से 24.08.2026 तक	
v	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation** किए जाने की तिथि	25.08.2026	
vi	जिस आवेदक का चयन *"प्रथम– चयन– सूची"* में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि	27.08.2026	
vii	द्वितीय–चयन– सूची जारी करने की तिथि	29.08.2026	
viii	द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	29.08.2026 से 01.09.2026 तक	
ix	आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड–अप प्रक्रिया की अवधि	29.08.2026 से 01.09.2026 तक	
x	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation** किए जाने की तिथि	02.09.2026	
xi	तृतीय–चयन– सूची जारी करने की तिथि	05.09.2026	
xii	तृतीय–चयन– सूची के आधार पर नामांकन अवधि	05.09.2026 से 07.09.2026 तक	
xiii	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation** किए जाने की तिथि	08.09.2026	

****नोट :– (i) ज्ञातव्य है कि संस्थान के द्वारा अगर आवेदकों के नामांकन का Updation (Accept/Reject) <u>ससमय</u> पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तो माना जाएगा कि आवंटित आवेदकों का नामांकन उक्त संस्थान में हो चुका है एवं तद्नुसार समिति द्वारा संबंधित संस्थान को अगले चरण के लिए उक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु किसी अन्य आवेदक का नाम आवंटित नहीं किया जाएगा।**

(ii) सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में नामांकन के निर्धारित चरण के पश्चात् भी अगर रिक्ति शेष रहती है तो संबंधित संस्थान द्वारा Spot Round प्रक्रिया के माध्यम से उक्त रिक्त सीटों पर नामांकन कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

22. यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो निराकरण हेतु पोर्टल पर उपलब्ध Grievance (शिकायत) के माध्यम से अथवा मोबाइल नं० **7903859788, 7903552332** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

8/8/26

परीक्षा नियंत्रक (विविध),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति